न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 138/2018/223 (00138/2018/223)

1. श्योजी पुत्र गीला, जाति जाट, निवासी ग्राम बिडला, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. प्रहलाद पुत्र स्व0 रामनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम बिड़ला, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. सांवरलाल पुत्र स्व0 राधाकिशन, जाति जाट, निवासी ग्राम बिड़ला, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायण पुत्र गीला, जाति जाट, निवासी ग्राम अम्बापुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. गोपाल पुत्र गीला, जाति जाट, निवासी ग्राम अम्बापुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. जगदीश पुत्र गीला (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— प्रेम पत्नी जगदीश, जाति जाट, निवासी ग्राम अम्बापुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
   3/2— राजू पुत्र जगदीश, जाति जाट, निवासी ग्राम अम्बापुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
   3/3— नन्दू पुत्री स्व0 जगदीश, जाति जाट, निवासी ग्राम अम्बापुरा, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
4. नौसर उर्फ नौसी विधवा स्व0 गीला (मृतक)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

6. गोकल पुत्र स्व0 रामनाथ (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— उमराव पुत्र गोकल, जाति जाट, निवासी ग्राम बिड़ला, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
   6/2— गीता पुत्री स्व0 गोकल पत्नी श्योराम, जाति जाट, निवासी ग्राम बिड़ला, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
7. मु0 हीरा पत्नी स्व0 राधाकिशन (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1— सांवरलाल पुत्र स्व0 राधाकिशन, जाति जाट,
   7/2— रामकुरी पुत्री स्व0 राधाकिशन, पत्नि स्व0 गोकल, जाति जाट,
   7/3— धन्नी पुत्री स्व0 राधाकिशन पत्नि रामप्रसाद, जाति जाट,
   7/4— गुलाब पुत्री स्व0 राधाकिशन पत्नी श्योराज, जाति जाट,
   7/5— बन्नी पुत्री स्व0 राधाकिशन पत्नी श्रवण, जाति जाट,
   7/6— मनभर पुत्री स्व0 राधाकिशन पत्नी रामदेव, जाति जाट,
   समस्त निवासी ग्राम बिड़ला, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 16.4.2018 अंतर्गत वाद संख्या 123/2007.

उपस्थितः—

1. श्री शिशिर विजयवर्गीय, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मनीष खण्डेलवाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3/3.
3. रेस्पो0 संख्या 6/1, 6/2 एवं 7/1 से 7/7 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 27.8.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.4.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतगर्त धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पेश कर कथन किया कि ग्राम वादपत्र में अंकित आराजियात ग्राम बिड़ला, तहसील सरवाड़ में स्थित है जो वादीगण की पुश्तैनी आराजियात है । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का इन आराजियात से किसी प्रकार का संबधं नहीं है । जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 में दाखिल खातेदार काश्तकार के रूप में गीला, रामनाथ, राधाकिशन पिता गोपाल 3/4, रामकरण पिता श्योचंद 1/4 जाट साकिन देह खातेदार दर्ज थे । गीला का देहांत हो जाने पर गीला की कुल चल व अचल सम्पति कृषि आराजियात उसके विधिक व वैधानिक उत्तराधिकारीगण वादी संख्या 1 व 5 को विधिक रूप से प्राप्त हुई और वे इस विधिक अधिकार से वादवर्णित संपूर्ण भूमि के बहैसियत दाखिल काबिल खातेदार दर्ज होकर निरन्तर काश्त करते आ रहे है । वादीगण ने वादपत्र में वंश वृक्षावली अंकित कर कथन किया कि स्व0 गोपाल के सबसे छोटे पुत्र श्योचंद की पत्नि श्रीमती धापू जाति रस्म रिवाज अनुसार श्योचंद को त्यागकर श्योचंद के जीवनकाल में ही उससे संबंध विच्छेद करके सुखदेव, निवासी ग्राम अम्बापुरा तहसील केकड़ी के नाते चली गई व सुखदेव की नातायत पत्नी बनकर उसके साथ आज से लगभग 60—65 वर्ष पूर्व से रहने लगी । श्योचंद व श्रीमती धापू के एक पुत्र रामकरण उत्पन्न हुआ था उसका देहांत भी अविवाहित व लगभग 10—12 वर्ष की आयु में ही हो गया था । इस प्रकार श्योचंद की सम्पति कृषि आराजियात के भी वादीगण संख्या 1 से 5 दाखिल काबिज सहभागीदार खातेदार कानूनन हो गये है व है । ग्राम अम्बापुर में सुखदेव व श्रीमती धापू की संतान एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भी उन्होंने गीला रखा। सुखदेव व धापू व गीला का देहांत हो जाने पर उनके विधिक व वैधानिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हो गये और यह प्रतिवादीगण स्व0 सुखदेव व उसके पुत्र स्व0 गीला की चल व अचल सम्पति को बहैसियत उसके उत्तराधिकार भोग रहे है तथा स्व0 सुखदेव तथा उसके पुत्र की कृषि आराजियात पर बहैसियत दाखिल काबिज खातेदार काश्तकार उपयोग, उपभोग व काश्त कर रहे है, तथा ग्राम अम्बापुर में स्व0 सुखदेव व गीला की अचल सम्पति में निवास कर रहे है और उसका उपयोग उपभोग निरन्तर इसी हैसियत से करते चले आ रहे है । सुखदेव की वंश वृक्षावली वादपत्र में अंकित की गई । स्व0 गीला पुत्र सुखदेव का नामांतकरण नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम खुल चुका है तथा उसकी आराजियात का उपयोग उपभोग उत्तराधिकारी की हैसियत से कर रहे है । ग्राम अम्बापुरा की मतदाता सूचियों में भी अपने नाम इसी हैसियत से अंकित करवाकर मतदान का प्रयोग करते आ रहे है तथा राशनकार्ड व चुनाव विभाग द्वारा जारी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मतदाता पहचान पत्रों में भी इसी हैसितय से मतदान कर रहे है । प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.5.2007 से कानून अपने हाथ में ले लिया है तथा वादीगण को उक्त प्रकार राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज चले आने के व आराजियात में 1/4 हिस्से उनके नाम दर्ज चले आने के आरण वादीगण को उसकी आड में आपराधिक रूप से व बलपूर्वक बेदखल कर जबरन कब्जा करने व आराजियात को रहन, बय, बक्षीस इकरारनामे द्वारा या किसी भी प्रकार से हस्तातंरित करने पर आमादा हो रहे है । अतः वादीगण के पक्ष में वाद डिक्री किया जावे तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.4.2018 को वादी का वाद निरस्त किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये थे एवं प्रदर्श 1 से प्रदर्श 20 तक के दस्तावेज प्रमाणित कराये है । प्रतिवादीगण द्वारा उनसे जिरह नहीं की गई तथा न ही प्रतिवादपत्र के समर्थन में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है । ऐसी स्थिति में वादीगण की साक्ष्य अभिवचनों के अनुकूल व दस्तावेजी साक्ष्य से भलीभांति प्रमाणित थी । वादी की साक्ष्य जब अखण्डित रही तब ऐसी स्थिति में वाद वादी डिक्री किये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प अधी0न्याया0 के समक्ष नहीं था । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । प्रतिवादीगण की ओर से अपने अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिए कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई साक्ष्य पेश की गई जिससे वादी के इस अभिवचन व साक्ष्य का खण्डन हो कि गोपाल के पुत्र श्योचंद का पुत्र रामकरण नाबालिग व नाऔलाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त रामकरण के वारिस नहीं थे । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने पूर्व में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राज0काश्त0अधि0 का प्रदर्श–15 वादीगण के विरूद्ध पेश किया था जिसका प्रतिवादी पत्र वादीगण द्वारा प्रदर्श 16 प्रस्तुत किया था । जिसके विवाद बिन्दु प्रदर्श 17 विरचित किये गये थे । उक्त वाद में प्रदर्श 19 धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश है जिसमें उक्त प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था तत्पश्चात् उक्त वाद भी खारिज किया गया है । इस प्रकार साक्ष्य से भली भांति यह प्रकट था कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त वादीगण के वंश में नहीं थे और न ही रहे है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल मात्र अभिवचन स्वंय साक्ष्य नही होते है और इसलिये अधी0न्याया0 का आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अभिवचनों के आधार पर समुचित तनकीयात कायम नहीं की है क्योकि उक्त विवाद में मुख्यतः जो विवाद था वह यह था कि आया प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादी के वंश में मृतक रामकरण के वारिसान थे । इस प्रकार का विवाद बिन्दु विरचित नहीं किये जाने से अधी0न्याया0 मुख्य विवाद का निस्तारण करने में असमर्थ रहा है और उसने इस संबंध में वादी की साक्ष्य व दस्तावेज आदि का विवेचन नहीं किया है । वादी ने जो साक्ष्य पेश कि उनमें दस्तावेज प्रदर्श–6 से प्रदर्श 14 द्वारा यह प्रमाणित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ग्राम अम्बापुरा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

के सुखा पुत्र भूरा जाट के पुत्र के वारिसान थे जिनके नाम ग्राम अम्बापुरा में सुखा की जमीन के नामांतकरण हुए है । उक्त दस्तावेजों को नहीं माने जाने का कोई भी कारण अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में नहीं लिखा है । अधी0न्याया0 का निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के अनुकूल नही है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को विवाद बिन्दु के अनुसार निर्णय करते समय उस विवाद बिन्दु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज आदि का विवेचन करते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिये । वादी ने अपने अभिवचनों में यह स्पष्ट कित किया था कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने नामांतकरण संख्या 136 प्रदर्श 2 गलत रूप से अपने नाम अंकित कराया है जिसके आधार पर प्रदर्श 3, 4 व 5 जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम का उल्लेख हुआ है जबकि उनका ग्राम बिड़ला स्थित वादीगण की पुश्तैनी सम्पति में कोई हक व अधिकार नहीं था । गलत नामांतकरण होने व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड बनने के कारण ही वादीगण ने घोषणा का अनुतोष चाहा था । अधी0न्याया0 ने विवाद बिन्दु संख्या 1 व 2 केवल इस आधार पर कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है इसलिये उनको वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है जो दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 3 भी बिना किसी साक्ष्य व दस्तावेज के प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की है जबकि प्रतिवादी न तो साक्ष्य में उपस्थित हुआ और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में सी0सी0सी0 2016 (2) सुप्रीम कोर्ट पेज 646, आर0एल0डब्ल्यू0 2004 (3) राज0 पेज 1752, डब्ल्यू0एल0सी0 1997 (1) राज0 पेज 63–ए, डब्ल्यू0एल0सी0 2001 राज0 यू0सी0 पेज 607, सी0सी0सी0 2009 (3) सुप्रीम कोर्ट पज 220, डब्ल्यू0एल0सी0 2010 (1) सुप्रीम कोर्ट सिविल पेज 507, आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 911, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 277, आर0आर0टी0 2007 (2) हाई कोर्ट पेज 1449, सी0सी0सी0 2016 (4) सुप्रीम कोर्ट पेज 1 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । स्व0 गीला उर्फ रामकरण एक ही व्यक्ति है । श्योचंद के एकमात्र लड़का रामकरण उर्फ गीला है तथा रामकरण उर्फ गीला को अपने भाई–बंध परेशान करते थे इस कारण रामकरण अपना ग्राम 30 साल पूर्व छोड़कर ग्राम अम्बापुरा में आकर निवास कर लिया तथा रामकरण को ग्राम में गीला के नाम से पुकारते थे क्योंकि रामकरण अपनी मां के साथ आया था इसलिये रामकरण को ग्राम अम्बापुरा में गेलड कह कर पुकारते थे । प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्व0 गीला उर्फ रामकरण के वारिसान होकर उसकी आराजियात पर काबिज काश्त है । वादीगण ने वादपत्र में जो सजरा अंकित किया है वह गलत है । रामकरण उर्फ गीला का स्वर्गवास हो चुका है जो अविवाहित नहीं था बल्कि शादीशुदा था जिसकी पत्नि श्रीमती नोसर देवी है तथा उसके प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 लड़के है तथा प्रतिवादी संख्या 4 रामकरण की वैधानिक पत्नि है । रामकरण उर्फ गीला की ग्राम बिड़ला की आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण का विवादित आराजियात के किसी भी हिस्से पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । वादीगण दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील

अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यू0एल0सी0 2010 (2) सुप्रीम कोर्ट पेज 151, डब्ल्यू0एल0सी0 2000 (4) राज0 पेज 452, डब्ल्यू0एल0सी0 2012 (2) राज0 पेज 391, डब्ल्यू0एल0सी0 2001 (यू0सी0) पेज 607, आर0एल0डब्ल्यू0 2000 (3) पेज 1891 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजियात श्योजी वल्द गीला, मगदू बेवा रामनाथ व गोपाल, प्रहलाद पि0 रामनाथ, राधाकिशन वल्द गोपाल 3/4 हिस्सा, रामकरण पि0 श्योचन्द 1/4 हिस्सा कौम जाटसा0देह खातेदार दर्ज है । रामकरण पि0 श्योचन्द की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 136 दिनांक 30.4.1993 से रामकरण के विधिक वारिसान मु0 नोसर बेवा रामकरण व जगदीश, नारायण, गोपाल पि0 रामकरण 1/4 हिस्सा कौम जाट के नाम स्वीकृत किया गया है । तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2050 से 2053 के अनुसार विवादित आराजियात खाता संख्य 250 के खसरा नंबर 70/2, 86, 87, 88, 90/2, 123, 595, 623, 1106 श्योजी वल्द गीला, मु0 मगदू बेवा रामनाथ व गोकुल, प्रहलाद पि0 रामनाथ, राधाकिशन पि0 गोपाल 3/4 हिस्सा, मु0 नोसर बेवा रामकरण व जगदीश, नारायण, गोपाल पि0 रामकरण 1/4 हिस्सा कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात में प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादीगण/अपीलांटस ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं रहा हो । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को साबित करने का भार वादी पर होता है । वादी का वाद में मुख्य अभिवचन यह है कि गोपाल के पुत्र श्योचंद का पुत्र रामकरण नाबालिग व नाऔलाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 रामकरण के वारिस नहीं थे । यह तथ्य वादी को ही साबित करने थे । इससे संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.4.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.8.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर